an>

Title: Need to resolve the dispute of water sharing between Panjab, Haryana and Rajashthan.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल के तहत अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के जल समझौते एवं भारत सरकार के निर्णय 1981 के अनुसार सिंधमुख नोहर सिंचाई पूणाली हेतु 0.47 एम.ए.एफ. पानी देना निर्धारित किया गया था। इसमें से 0.30 एम.ए.एफ. पानी ही राजस्थान को साउथ घग्घर एवं झण्डेवाला वितरिका से उपलब्ध है एवं शेष 0.17 एम.ए.एफ. पानी एवस नांगल राजस्थान को नांगल से भाखड़ा मेन लाइन के माध्यम से राजस्थान सरकार के संसाधनों से उपलब्ध करवाया जाना था। उक्त भारत सरकार के निर्णय के अनुबंध 1981 के अनुसार सभी सदस्य राज्यों के लिए बाध्य है। दिनांक 23.7.2007 को केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुनिश्चित किया गया कि पंजाब ने बी.एम.एल. की संपूर्ण क्षमता सुनिश्चित करने हेतु समस्त कार्य पूर्ण कर लिया है।

अध्यक्ष महोदया, पंजाब द्वारा समझौते के आधार पर राजस्थान को पानी आवंटित किया जाना चाहिए था। हरियाणा का इस पानी से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान सरकार के बार-बार आग्रह के बाद भी हरियाणा 0.17 एम.ए.एफ. पानी को नहीं दे रहा है। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि सिंधमुख नोहर सिंचाई हेतु 0.47 एम.ए.एफ. पानी आवंटित किया गया है। इस पानी के हिसाब से नहर, वितरिका आदि का निर्माण कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदया, राजस्थान ने वर्ष 2009 में सिंधमुख नोहर परियोजना पूर्ण कर ली थी। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करें एवं बी.बी.एम.बी. को राजस्थान के हिस्से का 0.17 एम.ए.एफ. पानी एवस नांगल से देने के लिए निर्देशित करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री सी.पी. जोशी और

डॉ. मनोज राजोरिया को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।